



मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल-462003

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHOPAL- 462003

(An Institution of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

क्र.प्रशा./स्था./2025/ 641

दिनांक : 03.2025

01.4.2025

परिपत्र

संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि कई बार कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के ही दौरे पर निकल जाते हैं। यह भी देखा गया है कि शहर के बीच यात्रा के लिए बिना पूर्व स्वीकृति के टैक्सियों या अन्य वाहनों का उपयोग किया जा रहा है तथा बाद में कार्योत्तर स्वीकृति के लिए अनुरोध किया जाता है।

संस्थान में सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दौरे पर निकलने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही, शहरों के बीच यात्रा के लिए टैक्सी या अन्य वाहन शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा केवल तब किया जाएगा जब संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई हो। टैक्सी या अन्य वाहन शुल्क के लिए दावे की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुरोध पर पूर्व स्वीकृति के बिना विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, यदि शहर की सीमा के भीतर टैक्सी या अन्य वाहन का उपयोग टीए नियमों के तहत निर्धारित सीमा के अधिक है तो भी सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

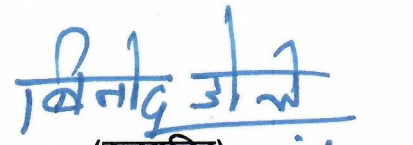
साथ ही, सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 290 के अनुसार यात्रा भत्ता (टीए) के लिए दावा यात्रा पूर्ण होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उक्त दावा अस्वीकार्य हो जाएगा। तदनुसार, सभी कर्मचारी यात्रा पूरी होने के बाद टीए के लिए दावा ऊपर उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

1. समस्त विभागाध्यक्ष / केंद्राध्यक्ष / अनुभाग प्रमुख- यह परिपत्र अपने विभाग/ केन्द्र / अनुभाग में प्रसारित करके अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी प्राध्यापक (वेबसाइट) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
3. कुलसचिव के निज सचिव - अभिलेख हेतु।
4. निदेशक के निज सचिव - निदेशक के सूचनार्थ।


(कुलसचिव)
01/4/2025